

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊः दिनांक 06 जून, 2024

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 तथा शासनादेश संख्या-2/2024/197/सैंतालीस-का-1-2024-13(1)/2024, दिनांक 22.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। यह भी निर्देश दिए गए हैं कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर उसे प्रतिकूल रूप में लिया जाये तथा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार न किया जाए।

2- यह संज्ञान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद मई, 2024 की स्थिति के अनुसार, पोर्टल पर कुल पंजीकृत 1778405 कार्मिकों के सापेक्ष मात्र 18600 कार्मिकों द्वारा ही अपनी सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

3.1 उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर दिनांक 30.06.2024 तक संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3.2 दिनांक 30.06.2024 तक चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत न किया जाना प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जायेगा तथा शासन/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न चयन समिति की बैठकों में इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए, ऐसे कार्मिकों की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित न मानते हुए जब-तक अपनी चल-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब-तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 3.3 भविष्य में होने वाली पदोन्नति में ऐसे कार्मिकों के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा, जिन्होंने अपनी सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर नहीं दिया है।
- 3.4 ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध जिनके द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, के सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारियों द्वारा उ० प्र० सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 7/2024/489/सैतालीस-का-1-2024-13(1)/2024 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० डेस्क, गोमती नगर, लखनऊ।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
विशेष सचिव।